

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गीताबाई

विपक्षी : शंकरलाल

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 17 / 16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.12.19</p> <p>पत्रावली में अधिवक्ता वादीयां द्वारा प्रार्थना पत्र वाद विद्रो की पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीयां द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वह अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वादीयां की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। वादीयां द्वारा वाद विद्रो किया जाने से अब इस वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः वादीयां का वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

